महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश मंदिर
.पो.–जवासिया, उज्जैन (मध्य–प्रदेश)
दूरभाष / Tele : (0734) 2502266,2502254, फैक्स / Fax : (0734) 2502253
e-mail : msrvvpujn@gmail, Web : www.msrvvp.nic.in

–निविदा प्रपत्र–

कार्य का नामः– वर्ष खण्ड 2018–19 हेतु प्रतिष्ठान में परिवहन व्यवस्था के लिए

निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि :	**25 जुलाई, 2018 बुधवार सांय 06:00 बजे तक**
निविदा खोलने की तिथि :	**26 जुलाई, 2018 गुरूवार प्रातः 11:00 बजे**
सेवा / कार्य की अनुमानित लागत राशि :	रू. 5,00,000 / – (पांच लाख रूपए मात्र)
धरोहर राशि :	रू.10,000 / – (दस हजार रूपये मात्र)
बैंक फिक्स डिपोजिट संख्या / डी.डी. संख्या :	
दिनांक :	
बैंक का नाम व पता :	
कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा / समयावधि	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पताः (दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर सहित)	

प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं अधिकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

परिवहन व्यवस्था के लिए नियम एवं शर्तेः–

1. धरोहर राशि का डी.डी./एफ.डी.आर. पोर्टल पर अपलोड कर वास्तविक प्रति प्रतिष्ठान को निर्धारित दिनांक तक प्रेषित करें। एफ.डी.आर./डी.डी. सचिव, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के नाम देय होगा।
2. फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र।
3. निविदाकार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा औद्योगिक संस्थाओं का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र/कार्यादेश। इसमें निविदा मूल्य की लागत का 80% का एक प्रमाण–पत्र अथवा 60% के दो प्रमाण–पत्र अथवा 50% के तीन प्रमाण–पत्र आवश्यक हैं जो विगत 7 वर्षो के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
4. निविदाकार फर्म का पैनकार्ड।
5. विक्रय कर विभाग से जारी TIN नम्बर।
6. सर्विस टैक्स क्रमांक।
7. निविदाकार फर्म का आर.टी.ओ. में पंजीयन।
8. निविदा में फर्म के प्रोपराइटर के नाम के साथ हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
9. निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार सभी मदों में दरें भरना अनिवार्य है।

   क) **तकनीकि बोली** (Technical Bid)– उपर्युक्त अनुसार माँगे गये समस्त प्रमाण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियॉ एवं निर्धारित अमानत राशि का फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR) / D.D. की स्केन कापी अपलोड कर मूल (original) प्रति निविदा के अन्तिम तिथि के पूर्व व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा प्रतिष्ठान कार्यालय को प्रेषित करें।

   ख) **वित्तीय बोली** (Financial Bid)– प्रतिष्ठान द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जाएं प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काट–छाँट या (overwriting)मान्य नहीं होगी।

निम्न स्थितियों में निविदा अमान्य/निरस्त मानी जाएगी –

1. धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तो पर आमंत्रित की गई हैं अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा अर्थात् सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित निविदा फार्म में किसी प्रकार का टैक्स भुगतान या शर्तो का उल्लेख न किया जाए।
3. निविदा दरों का सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा होना आवश्यक है। किसी प्रकार की अस्पष्टता एवं कटिंग, ओवर राईटिंग आदि होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।

4. एक मद में भी निविदा दर न भरने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी। निविदा प्रपत्र में दिये गये मद एवं मात्रा में ही दरें स्वीकार होंगी। अन्य मद एवं मात्रा में. दी गई दरें स्वीकार नहीं होंगी।

अन्य जानकारियाँ –

1. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
2. निविदा खोलने में सर्वप्रथम तकनीकि बोली पर विचार होगा। मांगे गये सम्पूर्ण प्रपत्रों के प्राप्त होने पर ही वित्तीय बोली पर विचार होगा। तकनीकि बोली में अधूरे प्रपत्र प्राप्त होने पर वित्तीय बोली निरस्त कर दी जाएगी।
3. निविदा स्वीकार होने के स्थिति में निविदा स्वीकृत पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन में सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि की 5% धनराशि का A/c Payee D.D. या FDR निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिष्ठान में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से साठ दिन की अधिक अवधि तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
4. निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश जारी कर दिया जायेगा। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
5. कार्यादेश जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिन बाद की तिथि से कार्य प्रारम्भ माना जाएगा। उसी तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।
6. निविदा स्वीकार न होने की दशा में फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR) / D.D.वापस लौटा दी जएगी।
7. कार्य की विचलन सीमा (Deviation Limit) 100% रहेगी।
8. सेवाओं में लापरवाही या कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी का अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही समाप्त करने का अधिकार प्रतिष्ठान को होगा।
9. सन्तोषजनक कार्य होने पर कार्यावधि समिति की संस्तुति पर क्रमशः एक–एक वर्ष कर तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है। समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत दर में यथोचित प्रतिवर्ष वृद्धि की जा सकती है।
10. निर्धारित समय सीमा में कार्यादेश का पालन न करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।

11. बिल राशि से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की रहेगी। टीडीएस कटौती से सम्बन्धित 16ए फार्म टीडीएस जमा होने के पश्चात् जारी किया जायेगा।

12. प्रतिष्ठान कार्यालय में मासिक किराए पर वाहन संयोजित करने हेतु उपर्युक्त कॉलम नम्बर 6 का अवलोकन करें। इस हेतु नियम एवं शर्ते संलग्न–1 में हैं।

13. निविदा स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या पुनः आमंत्रित करने का अधिकार प्रतिष्ठान के अधीन रहेगा।

14. प्रतिष्ठान के सचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

15. किसी भी प्रकार के वाद–विवाद के लिए भारतीय कानून के साथ न्यायायिक क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

सचिव
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान